

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, प० चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) एवं 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० शिवजी साह, 44, रघुनाथ साह, पिछड़ा वर्ग	सम्मा देवी, (पत्नी)	411, 01.04. 2026	ग्रा०+पो०- धमौरा थाना-साठी, प्रखण्ड-लौरिया, जिला-बेतिया 7765025702	416829 89932	SBI, SBIN000 1219	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
02	स्व० दलसिमर साह, 48, रामायण साह, पिछड़ा जाति	संगीता देवी, (पत्नी)	413, 01.04. 2026	ग्रा०-लक्ष्मीपुर बारी टोला, पो०-धमौरा थाना-साठी, प्रखण्ड-लौरिया, जिला-बेतिया 7256988454	354961 86524	SBI, SBIN000 1219	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
03	स्व० प्रभु साह, 50, मुंसी साह, अत्यंत पिछड़ा जाति	सीता देवी, (पत्नी)	415, 01.04. 2026	ग्रा०-लक्ष्मीपुर बारी टोला, पो०-धमौरा थाना-साठी, प्रखण्ड-लौरिया, जिला-बेतिया 8294994249	336583 39825	SBI, SBIN000 1219	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
04	स्व० हरी पंडित, 57, भगवान पंडित, अत्यंत पिछड़ा जाति	रामवती देवी, (पत्नी)	454, 10.04. 2026	ग्रा०-बबुई टोला गुदरी बाजार, पो०-बगहा, थाना-प्रखण्ड-बगहा, जिला-बेतिया 6202044956	396009 2089	CBI, CBIN02 80029	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
05	स्व० राजेन्द्र महतो, 49, रेखा महतो, पिछड़ा जाति	किशनावती देवी, (पत्नी)	456, 10.04. 2026	ग्रा०-बरवा, पो०-कठार, थाना-धनहा, प्रखण्ड-मधुबनी, जिला-बेतिया 9537582267	239481 000044 27	BOB, BARB0 DHAH WA	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
06	स्व० चोकट साह, 55, रामअवतार साह, अत्यंत पिछड़ा जाति	रीता देवी, (पत्नी)	457, 10.04. 2026	ग्रा०-खलवापट्टी, पो०-कठार, थाना-धनहा, प्रखण्ड-मधुबनी, जिला-बेतिया 8084104522	361283 02274	SBI, SBIN000 2972	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
07	स्व० महमदीन देवान, 37, स्व० गफूर देवान, अत्यंत पिछड़ा जाति	रजिया बेगम, (पत्नी)	459, 10.04. 2026	ग्रा०-बलुही, पो०-बिनही, थाना-प्रखण्ड-भितहॉ, जिला-बेतिया 8828263526	194501 000000 1669	USFB, UTKS00 01945	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर



08	स्व० राजेन्द्र मुखिया, 59, स्व० शिवपूजन मुखिया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सुगान्ती देवी, (पत्नी)	461, 10.04. 2026	ग्राम-पो०-मंगलपुर गुदरिया, धाना-प्रखण्ड-नौतन, जिला-बेतिया 9572039127	201518 01520	Fino Payment Bank, FINO00 01325	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कपड़ा सिलाई का कार्य
----	--	---------------------------	------------------------	--	-----------------	---	--	---

कुल :- रु० 5,50,000/-

(पाँच लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-52/2026-1078

पटना, दिनांक :- 19.08.2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17/08/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक